# मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1990

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्रमांक 20, 1981) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्यपाल, मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(क) ये नियम मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1990 कहलायेंगे.

(ख) ये नियम 8 मई, 1981 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

**2. परिभाषा.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981.

(ख) "प्रतिनियुक्ति" से अभिप्रेत है सचिवालय के किसी भी अधिकारी की सेवा को सचिवालय से बाहर किसी कार्यालय को अथवा सचिवालय के बाहर के किसी कार्यालय के अधिकारी की सेवा को सचिवालय को अस्थायी तौर पर उधार देना.

(ग) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल.

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन.

(ङ) "सामान्य प्रशासन विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन का सामान्य प्रशासन विभाग.

(च) "वित्त विभाग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन का वित्त विभाग.

(छ) "पद" से अभिप्रेत है सचिवालय में पद.

(ज) "आदेश" से अभिप्रेत है अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के अधीन जारी सामान्य या विशेष आदेश.

(झ) "सचिवालय" से अभिप्रेत है विधान सभा का सचिवालय.

(ञ) "वेतनमान" से अभिप्रेत है सचिवालय के प्रत्येक पद से संलग्न वेतनमान जो प्रत्येक पद के लिये विनिर्दिष्ट किया जाये.

(ट) "अधिकारी" से अभिप्रेत है विधान सभा सचिवालय सेवा संवर्ग का प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी का कोई राजपत्रित अधिकारी.

(ठ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विधान सभा सचिवालय सेवा संवर्ग का कोई तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी का अराजपत्रित कर्मचारी.

**3. सचिवालय की कर्मचारी संख्या तथा गठन.**—(1) सचिवालय में निम्नलिखित पद होंगे :—

(क) स्थायी पदों की संख्या, जो अध्यक्षीय आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो, तथा

(ख) अध्यक्षीय आदेश में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के अस्थायी पदों की वह संख्या, जो अध्यक्ष वित्त विभाग से परामर्श करने के बाद समय-समय पर आदेश द्वारा स्वीकृत करे.

(2) अध्यक्ष, वित्त विभाग से परामर्श करने के बाद कंडिका एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हेतु पद या पदों के किसी नये प्रवर्ग को उसमें जोड़कर समय-समय पर आदेश द्वारा संशोधन कर सकेगा.

**4. सचिवालय के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवा शर्तें.**—अधिनियम या इन नियमों में या इन नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों में अन्यथा उपबंधित स्थिति के सिवाय, सेवा शर्तों, वेतनमान, नियम, विनियम तथा आदेश, जिनके संबंध में अध्यक्ष को इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद विधान सभा सचिवालय में नियुक्त किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी पर लागू करने की शक्ति होगी, वे ही होंगे जो राज्य शासन के सचिवालय में तत्स्थानी पद धारित करने वाले किसी व्यक्ति पर प्रयोज्य हैं और यदि राज्य शासन के सचिवालय में ऐसा कोई तत्स्थानी पद न हो तो ऐसे अधिकारी अथवा कर्मचारी पर प्रयोज्य सेवा शर्तें, वेतनमान, नियम, विनियम तथा आदेश ऐसे होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा राज्यपाल के परामर्श से समय-समय पर विहित किये जायें :

परन्तु यदि राज्य शासन के सचिवालय में अवर सचिव के संवर्ग से ऊपर का तत्स्थानी पद भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान और साथ ही गैर भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान में हो, तो सचिवालय का पद भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान में होगा और अध्यक्ष ऐसे नियम, विनियम तथा आदेश लागू करेगा, जो राज्य शासन के सचिवालय के भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान में तत्स्थानी पद धारण करने वाले व्यक्ति पर प्रयोज्य है.

**5. अपवादिक मामलों में छूट.**—जहां अध्यक्ष को इस बात का समाधान हो जाता है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा शर्तों के मामले में किसी नियम या उपबंध के प्रवर्तन से किसी भी विशेष मामले में अनावश्यक कठिनाई पैदा होती है, वहां अध्यक्ष वित्त विभाग से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा उस नियम अथवा उपबंध की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन हटा सकेगा, उनमें छूट दे सकेगा अथवा जैसा कि मामले को न्यायसंगत एवं सम्यक् तरीके से निपटाने के लिये आवश्यक समझा जाये.

**6. सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारी की सेवा शर्तें.**—उस सीमा के अध्यधीन जो अध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग से परामर्श करने के पश्चात् निर्धारित की जाये. सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर रहते समय किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को सेवा के ऐसे किन्हीं भी निबंधनों पर शर्तों को बनाये रखने की अनुमति हो सकेगी जिसके लिये वह सचिवालय में अपनी प्रतिनियुक्ति के तत्काल पूर्व हकदार हो.

**7. नियंत्रण तथा अनुशासन.**—(1) समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी अध्यक्ष के अधीक्षण तथा नियंत्रणाधीन होंगे.

(2) अध्यक्ष के प्राधिकार के अध्यधीन **प्रमुख सचिव, सचिवालय से संबंधित प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों संबंधी विभागाध्यक्ष की समस्त या किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो समय-समय पर उसे अध्यक्ष द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त की जाये.

**8. गुरुतरदायित्व भत्ते का भुगतान.**—(1) अवर सचिव के ओहदे तक के प्रत्येक अधिकारी को पहली अप्रैल से शुरू होने वाले तथा मार्च के अन्तिम दिन को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आयोजित विधान सभा सत्रों के दौरान गुरुतरदायित्व कार्य का निर्वाह के लिये प्रतिवर्ष एक माह के कुल वेतन अर्थात् मूल वेतन तथा कुल परिलब्धियों *के बराबर (जो 31 मार्च अर्थात् वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन होता है) गुरुतरदायित्व भत्ता प्राप्त होगा.

(2) गुरुतरदायित्व भत्ते का भुगतान प्रतिवर्ष 31 मार्च के पश्चात् किया जायेगा किन्तु विधान सभा के बजट सत्र की समाप्ति के पूर्व नहीं जो उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के पूर्व प्रारंभ हो गया हो जिसके लिये भत्ता भुगतान योग्य है. यदि बजट सत्र 31 मार्च के पूर्व प्रारंभ नहीं होता है तो गुरुतरदायित्व भत्ते का भुगतान 31 मार्च के पश्चात् भुगतान योग्य होगा.

(3) अवर सचिव के ओहदे तक अधिकारी तथा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा के ऐसे कर्मचारी को, जिसने वित्तीय वर्ष में आयोजित विधान सभा सत्र की अवधि के कुल दिनों की संख्या के कम से कम 90 प्रतिशत दिनों तक सचिवालय में कार्य किया हो पूर्ण गुरुतरदायित्व भत्ता प्राप्त होगा और इस प्रयोजन के लिये वित्तीय वर्ष में आयोजित प्रत्येक विधान सभा सत्र की बैठक बुलाने की तारीख से उसकी बैठक की अन्तिम तारीख तक आयोजित किया गया माना जायेगा.

(4) अवर सचिव के ओहदे तक के ऐसे अधिकारी तथा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी सेवा के ऐसे कर्मचारी को जिसने वित्तीय वर्ष में आयोजित विधान सभा सत्र की अवधि के कुल दिनों की संख्या 90 प्रतिशत दिनों से कम अवधि के लिये संविधान सचिवालय में कार्य किया हो, गुरुतरदायित्व भत्ता समानुपातिक रूप में प्राप्त होगा तथा इस प्रयोजन के लिये भुगतान योग्य गुरुतरदायित्व भत्ते का समानुपात वही होगा जिस समानुपात में वह वित्तीय वर्ष में आयोजित सत्रों की कुल अवधि की तुलना में कर्तव्यस्थ रहा हो तथा प्रत्येक सत्र की अवधि की गणना विधान सभा बुलाने की तारीख से उसकी बैठक की अन्तिम तारीख तक की जायेगी.

---

* अधिसूचना क्रमांक 34431/वि. स./स्था./95, दिनांक 13/12/1995 द्वारा संशोधित.

**अधिसूचना क्रमांक 315-एक(8) 43-05-दो-अड़तालीस, दिनांक 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित.

**9. अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशों का प्रमाणीकरण.**—अध्यक्ष के नाम से निष्पादित किसी भी आदेश का प्रमाणीकरण, सचिवालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका ओहदा अवर सचिव के ओहदे से कम न हो, उस रीति से किया जायेगा जो अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट करे.

**10. अवशिष्ट शक्तियां.**—ऐसे समस्त मामले, जो इन नियमों में विशेष रूप से उपबंधित न हों चाहे वह नियमों के उपबंधों के प्रासंगिक अथवा अनुसांगिक हों या अन्यथा रूप में हों ऐसे आदेशों के अनुसार विनियोजित किये जायेंगे जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दिये जायें.

**11. परिवीक्षा.**—(1) सचिवालय में किसी भी पद पर सीधे नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा.

(2) परिवीक्षा की अवधि की गणना पदभार ग्रहण करने की तारीख से की जायेगी.

(3) परिवीक्षा की अवधि में लेखबद्ध किये जाने वाले समुचित कारणों से साधारणतया एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेगी. परिवीक्षा की अवधि में वृद्धि करने वाले प्रत्येक आदेश में उस तारीख का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा, जिस तारीख तक वृद्धि की गई हो. विशेष परिस्थितियों में परिवीक्षा की अवधि में एक वर्ष से अधिक की वृद्धि की जा सकेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि परिवीक्षा अवधि में दो वर्षों से अधिक की वृद्धि नहीं की जायेगी.

**12. पुनर्नियोजन की शक्ति.**—अध्यक्ष अधिवार्षिकी आयु पूरी होने के बाद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़ किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी का पुनर्नियोजन, यथास्थिति, अधिकारी अथवा कर्मचारी की अधिवार्षिकी आयु की तारीख से दो वर्षों से अनधिक अवधि के लिये मन्जूर कर सकेगा.

**13. नियुक्ति अधिकारी.**—(क) सभी राजपत्रित पदों पर भर्ती तथा पदोन्नति की शक्तियां अध्यक्ष में निहित होंगी.

(ख) अन्य सभी पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति अध्यक्ष के अधिकारों के अध्यधीन *प्रमुख सचिव में निहित होंगी.

(ग) समस्त राजपत्रित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर अनुशासनिक नियंत्रण एवं शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार अध्यक्ष में तथा शेष पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर अनुशासनिक नियंत्रण एवं शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार अध्यक्ष के अधिकार के अध्यधीन *प्रमुख सचिव में निहित होगा.

**14. पदोन्नति के लिये न्यूनतम सेवा अवधि.**—सचिवालय सेवा में कार्यरत किसी कर्मचारी/अधिकारी की एक पद से किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति करने के लिये निम्न पद पर की गई सेवा वर्षों की न्यूनतम संख्या क्रमशः तीन/पांच वर्ष होगी. किन्तु अध्यक्ष को आवश्यक होने पर ऐसी सेवा वर्षों की संख्या में छूट देने की शक्ति होगी.

**15. उम्मीदवार का चयन.**—(1) किसी भी पद के लिये चाहे उसे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरा जाना हो, उम्मीदवार का चयन अध्यक्ष द्वारा मनोनीत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जायेगा तथा साक्षात्कार या लिखित परीक्षा या दोनों के पश्चात् समिति अपनी सिफारिशें नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी.

(2) किसी पद के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा.

**16. रिक्तियों का आरक्षण.**— उपलब्ध रिक्तियां, चाहे वे सीधी भर्ती हो या पदोन्नति की, शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार उन उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रखी जायेंगी, जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों.

---

*अधिसूचना क्रमांक 315-एक(8) 43-05-दो-अड़तालीस, दिनांक 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधित.

**17. अतिरिक्त पदों के निर्माण की शक्ति.**—अध्यक्ष, आदेश द्वारा वित्त विभाग के परामर्श के बिना अवर सचिव पद के समकक्ष अधिकारियों और कर्मचारियों के इतने अस्थायी पद, जो वह आवश्यक समझे 6 माह से अनधिक अवधि के लिये निर्मित कर सकेगा:

परन्तु ऐसे अतिरिक्त पदों के निर्माण पर होने वाला व्यय किसी वित्तीय वर्ष में *रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि ऐसे अस्थायी पदों को स्थायी आधार पर जारी रखने के लिये पुन: निर्मित नहीं किया जायेगा.

**18. अध्यक्ष द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति.**—(क) अध्यक्ष समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी रीति या रीतियों के विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके द्वारा किसी पद या पदों की श्रेणी के लिये भर्ती/पदोन्नति/संविलियन किया जायेगा और पदों की कोटियों में नियुक्ति अथव पदस्थापना के लिये अपेक्षित अर्हतायें भी होंगी जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें.

(ख) अध्यक्ष द्वारा पूर्वोक्त कंडिका में उल्लिखित सामान्य या विशेष आदेश, इस हेतु गठित विधान सभा की विशिष्ट समिति की सिफारिश प विचारोपरान्त जारी किया जायेगा.

**19. निर्वचन.**—इन नियमों के निर्वचन संबंधी समस्त प्रश्न अध्यक्ष को निर्दिष्ट किये जायेंगे जिसका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा.

**20. पूर्व प्रदत्त आदेशों का पुष्टिकरण.**—इन नियमों के जारी होने से पूर्व अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा पारित किये गये आदेश, इन नियमों अधीन जारी किये गये आदेश समझे जायेंगे तथा उनके अनुसरण में की गई कार्यवाही वैध समझी जायेगी.

**21. निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम जिनमें मध्यप्रदे विधान सभा सचिवालय (सेवा की शर्तें) नियम, 1962 भी शामिल हैं और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रभावी हों, एतद्द्वारा निरसित वि जाते हैं परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दि गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

[दिनांक 14 सितम्बर, 1990 के भाग-4 (ग) के राजपत्र में प्रकाशित]

* अधिसूचना क्रमांक 23872/स्था./94, दिनांक 15-9-1994 द्वारा प्रतिस्थापित